

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- ०१ / २०२४ ५०५४

न्यायन गांव के रंग अभियान-२०२१

१. जगन्नाथ ५१० खेत देवगाँव तहसील करेडा

प्रार्थी.....

बनाम

१. राजस्थान सरकार पंजी तहसील करेडा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १११-१२८ रा०भू०रा०अधि० १९५६

:: आदेश ::

दिनांक १६/१०/२४

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १११-१२८ रा०भू०रा०अधि० १९५६ के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चित्ताना पटवार हल्का चित्ताना तहसील करेडा में उराके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या १७४ आराजी नम्बर ०-५५२६ / ०-३७३५ / ३७३/२२

कुल किता २ रकबा ०.८२२०

हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक १६/१०/२४ को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा १११-१२८ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... चित्ताना पटवार हल्का चित्ताना तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या १७४ आराजी नम्बर ०-५५२६ / ०-३७३५ / ३७३/२२

कुल किता २ रकबा ०.८२२०

हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चित्ताना को ५५०/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रकारी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

करेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट ०७ दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रकारी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

करेडा जिला भीलवाड़ा